न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2022-214RAAJodhpur2022-90RTA223 Jairam Vs Ganpatram etc

जयराम पुत्र श्री मगाराम, जाति सीरवी, निवासी- बेरा भेवरिया शिवनगरी स्कूल के पास, वार्ड संख्या 33, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. गणपतराम पुत्र श्री पुनाराम
2. दिनेश पुत्र श्री पुनाराम
3. भंवरीदेवी पत्नी श्री पुनाराम
4. इन्द्रा पुत्री श्री पुनाराम
5. चेलाराम पुत्र श्री मगाराम
6. गुड्डीदेवी पुत्री श्री भंवरलाल, पत्नी श्री भोलाराम
7. देवी पुत्री श्री चिमनाराम
8. अनाराम पुत्र श्री पुरखाराम
9. चन्दूलाल पुत्र श्री पुरखाराम
10. बाबूलाल पुत्र श्री पुरखाराम
11. गोविन्दराम पुत्र श्री पुरखाराम

सभी जातियान् सीरवी, निवासीगण- बेरा भेवरिया शिवनगरी स्कूल के पास, वार्ड संख्या 24, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर।

12. सचिव सहकारी भूमि विकास बैंक, शाखा बिलाड़ा।
13. श्रीमान् तहसीलदार बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09 फरवरी 2022 सहायक कलक्टर बिलाड़ा राजस्व मूल वाद संख्या 42/2018 गणपतराम व अन्य बनाम जयराम इत्यादि

उपस्थित-

श्री अमरसिंह चौधरी, अधिवक्ता-अपीलाण्ट

श्री वेनाराम पटेल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या एक से चार

श्री हेमंत चौधरी, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या छ, आठ से ग्यारह

श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या तेरह

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

नि र्ण य

दिनांक : 01 अप्रैल 2025

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर बिलाड़ा द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 42/2018 अनवान गणपतराम व अन्य बनाम जयराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09 फरवरी 2022 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 27 मई 2022 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक से चार ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 3631 रकबा 03.04 बीघा, खसरा नंबर 3633 रकबा 04.02 बीघा, खसरा नंबर 3635 रकबा 02.04 बीघा, खसरा नंबर 3638 रकबा 04.02 बीघा,ख सरा नंबर 3642 रकबा 02 बिस्वा, खसरा नंबर 3643 रकबा 01.11 बीघा, खसरा नंबर 3646 रकबा 01.18 बीघा कुल रकबा 14.02 बीघा ग्राम बिलाड़ा चक-1 द्वितीय तहसील बिलाड़ा के संबंध में धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 16 मार्च 2021 को निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी कर बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने का आदेश दिया गया। विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचारण न्यायालय अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09 फरवरी 2022 के जरिये वाद स्वीकार कर लिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के नोटिस सम्यक रूप से तामील नही करवाये गये तथा रेस्पोडेंट संख्या एक से चार ने

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

मिलीभगती कर अपीलांट की ओर से विचारण न्यायालय में वकालतनामा पेश करवा दिया एवं अपीलांट की सहमति बताते हुए निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी करवा दी। विभाजन प्रस्ताव तैयारी से पूर्व भू-अभिलेख निरीक्षक ने सम्मन पहले जारी न कर उसी दिन पक्षकारान् को नोटिस जारी किये गये तथा उसी दिन विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है। विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार बिलाड़ा द्वारा स्वयं मौके पर जाकर तैयार नहीं किया गया है तथा न ही पक्षकारों की उपस्थिति में तैयार किया गया है, इस तरह से नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारान् को आपत्तियॉ प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना केवल वादी अधिवक्ता एवं राजकीय पैरोकार की बहस सुनी अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित कर दी, जो विधिविरूद्ध होने से अपास्त योग्य है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट पर समनों की सम्यक तामील करवाये बिना उसके विरूद्ध एकपक्षीय निर्णय एवं डिक्री पारित किये जाने से अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की समय पर जानकारी नही हो सकी। अपीलांट द्वारा सहखातेदार चेलाराम की भूमि खरीदने के लिए हल्का पटवारी से जमाबंदी की नकल चाहने पर विभाजन का नामांतरकरण स्वीकृत होने की जानकारी मिली। तब अपीलांट दिनांक 23.05.2022 को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त होने और जिसे पढने पर आलौच्य निर्णय एवं डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी हुई। इससे पहले अपीलांट को आलौच्य निर्णय एवं डिक्री की जानकारी नहीं थी।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब का माफ किया जाकर गुणावगुण पर अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09 फरवरी 2022 को अपास्त फरमाया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट्स के अधिवक्तागण ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट पर सम्मनों की सम्यक तामील करवाये जाने पर वह जरिये अधिवक्ता विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी की गई तथा अपीलांट के जमाबंदी में दर्ज हिस्से में किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं किया गया है। तहसीलदार द्वारा विभाजन प्रस्ताव नियमानुसार तैयार किया गया है, जिस पर विचारण न्यायालय द्वारा विधिसम्मत निर्णय एंव डिक्री पारित की गई है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं म्याद बाधित होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत किये जाने में हुए विलंब का प्रश्न है, मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु म्याद के बिंदु पर नरम रुख अपनाते हुए न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती है।

विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव दिनांक 21.09.2021 के अवलोकन मुताबिक तहसीलदार बिलाड़ा द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयारी के वक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 की पालना में अपीलांट को सम्यक रूप से सूचित किये बिना तथा अपीलांट की उपस्थिति सुनिश्चित किये बिना विभाजन प्रस्ताव पक्षकारान् के कब्जे काश्त के विपरीत तैयार किया

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जाना पाया जाता है। विचारण न्यायलय की पत्रावली पर उपलब्ध नोटिसों के अवलोकन से प्रकट होता है कि पटवारी हल्का द्वारा विभाजन प्रस्ताव की तिथि 21.09.2021 नियत करते हुए उसी दिन ही पक्षकारान् को सम्मन जारी कर प्रातः 11 बजे उपस्थित रहने हेतु नोटिस जारी किये गये है, जो सभी पक्षकारान् पर सम्मन तामील नहीं होने पाये गये है। विचारण न्यायालय द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारान् को आपत्तियॉ प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना तथा प्रतिवादी अधिवक्ता की अनुपस्थिति में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किया जाना पाया जाता है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री विधि विरुद्ध पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरते है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बिलाड़ा द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 42/2018 अनवान गणपतराम व अन्य बनाम जयराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09 फरवरी 2022 खारिज किये जाकर मामला विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि वह उभय पक्ष की उपस्थित में विभाजन प्रस्ताव तलब कर उस पर उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधिनुसार वाद का निस्तारण करे। उभय पक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 15 अप्रैल 2025 को उपस्थित रहे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर